कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स)
वन भवन भोपाल E-mail - pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/2025/WLC/ I/667725/2025 भोपाल, दिनांक 12-12-2025

ALERT NO. 05/2025-26

विषय:- बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व एवं उससे सटे क्षेत्रों में बाघों के शिकार की आशंका के संबंध में अलर्ट जारी किए जाने बाबत।

--00--

इस कार्यालय को प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ आदतन शिकारी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व एवं इसके आस-पास के जिलों में सक्रिय होकर बाघों को अवैध रूप से शिकार करने की योजना बनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये शिकारी समुदाय से संबंधित व्यक्ति बाघों के अवैध शिकार के उद्देश्य से संगठित रूप से गतिविधियाँ संचालित कर सकते है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए **क्षेत्र में पूर्ण सतर्कता (High Alert)** बरतना आवश्यक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सचैत कर सधन गश्ती करे व निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:

1. बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व एवं लगे हुए क्षेत्रीय वन मण्डल व वन विकास नगम की सभी रेंजों में दिन व रात मे सयुक्त गश्ती दलों को सुदृढ़ कर चौकसी बढ़ाई जाए।
2. संवेदनशील क्षेत्रों मुख्यतः जहाँ बाघ विचरण कोर क्षेत्र या जंगल के बाहर है या गाँव के नजदीक है वहां पर अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की जाए।
3. स्थानीय ग्रामवासियों, चरवाहों, ग्राम कोटवार, फील्ड स्टाफ तथा पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट से सतत सूचना आदान-प्रदान कर उनका विश्लेषण कर निगरानी की जाए।
4. पार्क के मुख्य एवं उप-प्रवेश द्वार,हाट-बाजार, मेला, रेल्वे स्टेशन व बस स्टैन्ड,खाली पड़े मैदान,स्कूल के मैदान,मुख्य सड़क आदि संदिग्ध स्थलों की चेकिंग/ सर्चिंग व्यवस्था कड़ी की जाए।
5. बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों एवं उनके संदिग्ध डेरा की सतत चेकिंग करे। उक्त कार्यवाही मे आवश्यकतानुसार खोजी श्वान दस्ते को साथ रखे।
6. किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल मुख्यालय को प्रेषित की जाए।
7. पूर्व के आदतन शिकारियो की विधिवत पतासाजी कर जानकारी निगरानी पंजी मे दर्ज करे।
8. यदि आवश्यक हो तो स्थानीय पुलिस-प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त टीम द्वारा पेट्रोलिंग संचालित की जाए।

अवैध वन्यजीव अपराधों की रोकथाम एवं बाघ संरक्षण की दृष्टि से यह एक अत्यंत गंभीर स्थिति है। अतः निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रति पखवाड़ा मे इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
एवं वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि -
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. पुलिस महानिदेशक STF एवं अध्यक्ष स्टेट टाइगर सेल, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रबंध संचालक, वन विकास निगम म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) शहडोल/जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
5. क्षेत्र संचालक बाधवगढ टाइगर रिजर्व की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमंडल अधिकारी (सामान्य) उत्तर शडडोल/दक्षिण शहडोल/उमरिया/अनुपपुर/कटनी
5. संभागीय प्रबंधक, वन विकास निगम, उमरिया/कुण्डंम,
6. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स,जबलपुर
की ओर सूचनार्थ कर लेख है उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

File No. STSF/HQ/C-26/2025 (Computer No. 506981)
Generated from eOffice by Mukesh Sharma, FG(MS)-MPSTSF(CRIME-SEC), FOREST GUARD, MADHYA PRADESH STATE TIGER STRIKE FORCE on 17/12/2025 11:46 am